

फरवरी-अप्रैल, 2001 सत्र

विधेयक क्रमांक	विधेयक का नाम	विभाग का नाम	पुरःस्थापन का दिनांक	विचार एवं पारण का दिनांक
1.	छत्तीसगढ़ आकर्सिकता निधि विधेयक, 2001 (क्रमांक 1 सन् 2001)	वित्त	15 मार्च	15 मार्च
2.	छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2001 (क्रमांक 2 सन् 2001)	वित्त	5 मार्च	5 मार्च
3.	छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2001	वित्त	22 मार्च	22 मार्च
4.	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबंध) विधेयक, 2001 (क्रमांक-4 सन् 2001)	वाणिज्यिक कर	26 मार्च	19 अप्रैल
5.	छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2001)	वाणिज्यिक कर	26 मार्च	19 अप्रैल
6.	छत्तीसगढ़ विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 (क्रमांक 6 सन् 2001)	वित्त	26 मार्च	26 मार्च
7.	छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल विधेयक, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001)	स्वास्थ्य	16 अप्रैल	19 अप्रैल
8.	छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) 2001 (क्रमांक 8 सन् 2001)	यो.आ. एवं सांख्यिकी	19 अप्रैल	27 जुलाई
9.	छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001)	वित्त		
10.	छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक हित संरक्षण विधेयक, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001)	दिनांक 17/4/2001 को प्राप्त सूचना पर भारसाधक सदस्य के हस्ताक्षर न होने के कारण इसे वापस किया गया।		
11.	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 11 सन् 2001)	दिनांक 27/7/2001 को पुरःस्थापित विधेयक भारसाधक सदस्य द्वारा वापस लिया गया।		
12.	छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 12 सन् 2001)	संसदीय कार्य	19 अप्रैल	27 जुलाई
13.	छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 13 सन् 2001)	संसदीय कार्य	19 अप्रैल	27 जुलाई
14.	छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001)	दिनांक 30/7/2001 को पुरःस्थापित विधेयक भारसाधक सदस्य द्वारा वापस लिया गया।		

जुलाई-अगस्त, 2001 सत्र

“(विधान सभा द्वारा यथा पारित) ”

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक १ सन् २००१)

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि विधेयक, २००१

छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना करने तथा उसे बनाये रखने के लिए व्यवस्था करने के हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवे वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, २००१ कहलायेगा। संक्षिप्त नाम
 (2) यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन से प्रवृत्त होगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग में विपरीत न हो, ‘निधि’ से तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित की गई छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि से है। परिभाषा
3. अग्रदाय के रूप में, ‘छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि’ नामक एक निधि की स्थापना की जायेगी जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से चालीस करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जायगा। आकस्मिकता निधि की स्थापना
4. यह निधि राज्यपाल की ओर से शासन के वित्त विभाग के सचिव द्वारा धारण की जायगी और विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन राज्य के विधान मण्डल द्वारा ऐसे व्यय का प्राधिकरण हो जाने तक अनपेक्षित व्ययों की पूर्ति करने के आशयों के अतिरिक्त निधि में से कोई भी अग्रिम नहीं दिये जायेगे। निधि की अभिरक्षा तथा उसमें से धन निकालना
5. इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के आशय के लिये राज्य शासन निधि की अभिरक्षा, उसमें धनों के भुगतान और उसमें से धनों के निकालने से संबंधित या इन सब बातों में सहायक समस्त विषयों का नियमन करने वाले नियम बना सकेगा। नियम बनाने की शक्ति

“यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा गुरुवार, दिनांक १५ मार्च, २००१ को पारित किया गया।”

रायपुर :

दिनांक : २२ मार्च, २००१



अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

(4)

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्र. 1 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना करने तथा उसे बनाये रखने के लिए व्यवस्था करने के हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जायः-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 कहलायेगा।
(2) यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर इसके अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन से प्रवृत्त होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग में विपरीत न हो, 'निधि' से तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित की गई छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि से है।
3. अग्रदाय के रूप में, 'छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि' नामक एक निधि की स्थापना की जायगी जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से चालीस करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जायगा।

4. यह निधि राज्यपाल की ओर से शासन के वित्त विभाग के सचिव द्वारा धारण की जायगी और विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन राज्य के विधान मण्डल द्वारा ऐसे व्यय का प्राधिकरण हो जाने तक अनपेक्षित व्ययों की पूर्ति करने के आशयों के अतिरिक्त निधि में से कोई भी अग्रिम नहीं दिये जायेगे।

5. इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के आशय के लिये राज्य शासन निधि की अभिरक्षा, उसमें धरों के भुगतान और उसमें से धरों के निकालने से संबंधित या इन सब बातों में सहायक समस्त विषयों का नियमन करने वाले नियम बना सकेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड 2 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि के सूजन के द्वारा पुरस्थापित किया जा रहा है जिससे संविधान के अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधान मण्डल विधि द्वारा प्राधिकृत विज्ञान लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिये राज्यपाल को समर्थ बनाया जा सके।

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुरः

तारीख 26-2-2001

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य

“संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशासित”

भगवानदेव ईसरानी
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा